

कार्यालय अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)

सं. 14-पाठ्य सं. 4011

आदेश की
तारीख
दिनांक

आदेश और वकीलकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाही के बारे में
टिप्पणी न. 1 व माहिना

2

3

07/03/2019

अभिलेख उपस्थापित किया गया देनदार
मुकेश कुमार सिंह पिता-शारदानन्द, पत्नी-सिन्हा ग्राम
कॉम्प्रेस्सिव कॉलोनी, प्लॉट नं०-210 बोकारो स्टील सिटी
को निबंधित डाक द्वारा नोटिस भेजा गया था।
सही पता नहीं रहने के कारण नोटिस तामिला
नहीं हो सका संबंधित बैंक की देनदार का सही
पता उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक
582 दिनांक 07/10/2017 को पत्राचार किया गया था
किन्तु बैंक द्वारा सही पता उपलब्ध नहीं कराया
गया/इन्हे पुनः स्मारित करें।

अभिलेख 25/03/2019 को उपस्थापित करें

अंचल अधिकारी,
बैरगो (बोकारो)।

25/03/2019

अभिलेख उपस्थापित किया गया। बैंक से माँगे
गये प्रतिवेदन अप्राप्त हैं लोक सभा चुनाव 2019
में व्यस्त रहने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी
अभिलेख दिनांक 22/05/2019 को करें

अंचल अधिकारी,
बैरगो (बोकारो)।

22/05/2019

अभिलेख उपस्थापित किया गया। विधि व्यवस्था
में व्यस्त रहने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।
अभिलेख दिनांक 26/06/2019 को करें

अंचल अधिकारी,
बैरगो (बोकारो)।

26/06/2019

अभिलेख उपस्थापित किया गया जिला कार्यालय
बोकारो बैठक में जाने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी।

कायलिय

अनुसूची 14-फारम सं० 461।

आदेश को
काय संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश का
कारवाही के
दिनांक तारीख

1

2

3

30/07/2019

अभिलेख दिनांक-30/07/2019 को रखें।
अंचल अधीक्षक,
बैरगो (नोकर्सि)।
अभिलेख अपरथापित किया गया विमान शमा
चुनाव 2019 के लिए जिला कायलिय नोकर्सि बैठक
में जाने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी

अभिलेख दिनांक 25/07/2019 को रखें।

अंचल अधीक्षक,
बैरगो (नोकर्सि)।

25/07/2019

अभिलेख अपरथापित किया गया विमान शमा
चुनाव 2019 में थरल रखने के कारण कार्यवाही नहीं
की जा सकी।

अभिलेख दिनांक 22/12/2019 को रखें।

अंचल अधीक्षक,
बैरगो (नोकर्सि)।

22/12/2019

अभिलेख अपरथापित किया गया विनि थरल
में थरल रखने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी

अभिलेख दिनांक 27/01/2020 को रखें।

अंचल अधीक्षक,
बैरगो (नोकर्सि)।

27/01/2020

अभिलेख अपरथापित किया गया जिला कायलिय
नोकर्सि में बैठक रखने के कारण कार्यवाही नहीं की
जा सकी

अभिलेख दिनांक 28/01/2020 को रखें।

अंचल अधीक्षक,
बैरगो (नोकर्सि)।

कार्यालय अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)

सूची 14-फारम सं० 461।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
28/02/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया विधि व्यवस्था में धरत रहने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभिलेख दिनांक 26/03/2020 को रखें। अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)।	
26/03/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया COVID-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन में धरत रहने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभिलेख दिनांक 25/06/2020 को रखें। अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)।	
25/06/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया Covid-19 से संबंधित जिला कार्यालय बोकारो बैंक में जाने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 22/07/2020 को रखें। अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)।	
22/07/2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया संबंधित बैंक से सही पता उपग्रह से इन्हे पुनः स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 10/08/2020 को रखें। अंचल अधिकारी बैरगो (बोकारो)।	

कार्यालय

अनुसूची 14-फारम सं० 461।

आदेश को नम गंव्या और तारीख	बादेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कारवाही के दिपणी तारीख
1	2	3

10/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया संबंधित बैंक को इस कार्यालय का पत्रांक 441 दिनांक - 02/08/2020 के द्वारा सभी पत्रा एवं देनदार द्वारा देय बकाया राशि जमा किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन कि मांग को गई जा अपात है

पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 491

दिनांक 10/08/2020 के द्वारा सभी पत्रा उपलब्ध कराने एवं देनदार द्वारा देय बकाया राशि जमा किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 20/08/2020 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख दिनांक 20/08/2020 को रहे।

अंचल अधिकारी,
बैरगी (बिकरी)।

कार्यालय "अंचल आधिकारी" लखनौ (बोकारो)

14-पारम सं० 461।

गुठ सं० ०५/२०१७-१८

को स्था नारी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अदेश पर को गई कारवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

20/08/2020
20/08/2020

अभिलेख अपायापित किया गया था आखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनौ को लिखा - मकोली इस कार्यालय के पत्रांक 582 दिनांक 07/10/2017 पत्रांक 44 दिनांक 20/07/2020 एवं 49 दिनांक 10/08/2020 के द्वारा इनकारों का राखी पत्रा दिनांक 20/08/2020 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया किन्तु इनके द्वारा आज दिनांक 20/08/2020 तक उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण देनदार को बकाया राशि जमा करने हेतु नोटिस लिखी नहीं किया जा सका।

इससे स्पष्ट होना है कि संबंधित बैंक के द्वारा अभिलेखी नहीं की गई तथा पश्चात अभिलेख की कार्रवाई बन्ध की जाती है।

इसकी सूचना आखा प्रबंधक को देय।

अपवापित
20/08/2020
अंचल आधिकारी,
लखनौ (बोकारो)।

20/08/2020
अंचल आधिकारी,
लखनौ (बोकारो)।